an>

Title:Need to do away with industrial pollution norms of 2009 in the country.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र वटवा, वापी, एवं अंकलेश्वर में प्रदूÂाण के संदर्भ में नए औद्योगिक वित्त निवेश पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया जो प्रतिबंध है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्Âिात करना चाहती हूं। वÂाऩ 2009 में औद्योगिक प्रदूÂाण के बदले हुए नए मापदंडों को रद्द करके पुराने मापदंडों को यथावत रखने की गुजरात सरकार द्वारा मांग की गयी है। हाल ही में हमारी पूथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने भी इस मांग को दुहराया है। इसके कारण तीनों औद्योगिक क्षेत्रों को प्रतिबंध से बाहर आने की सहूलियत मिलेगी। केन्द्रीय प्रदूÂाण नियंत्रण बोर्ड ने 2009 में देश भर में औद्योगिक प्रदूÂाण पर नकेल कसने के लिए सख्ती बरतते हुए प्रवाही औद्योगिक प्रदूÂाण में केमिकल आक्सीजन डिमांड यानी सी.ओ.डी. का पुराना मापदंड जो प्रति 500 मिलीलीटर का था, उसे 205 मिलीलीटर कर दिया था। बायोकैमिकल आक्सीजन डिमांड बी.ओ.डी. का पुराना मापदंड प्रति लीटर 100 मिलीलीटर था, उसे 50 मिलीलीटर में बदल दिया गया है तथा ऐमोनिकल नाइट्रोजन का नया मापदंड प्रति 100 मिलीलीटर का कर दिया गया है।

गुजरात सरकार की ओर से अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक निवेदन किया गया था कि अंकलेश्वर में वÂाऩ 2007 से तथा वापी, वटवा में वÂाऩ 2010 से नए औद्योगिक ईकाई का निर्माण करने तथा वर्तमान औद्योगिक एकमों के विस्तृतीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन इसके बाद अंतिम 5 वÂााों के दरम्यान इन तीनों क्षेत्रों में कॉमन एफ्युलेंट ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में उसके अपग्रेडेशन में उद्योगकारों द्वारा स्वयं कदम उठाए गए थे।

जीआईडीसी गुजरात सरकार द्वारा कुल मिलाकर 8,500 करोड़ रूपए प्रदूÂाण को घटाने में खर्च किए गए हैं। जिसके कारण वापी में 70, अंकलेश्वर में 75 और वटवा में 50 प्रतिशत प्रदूÂाण घट गया है।

प्रतिबंध के कारण तीनों क्षेत्रों में 8,500 करोड़ के नए वित्त निवेश का एमओयू नहीं हो पा रहा है, जो गुजरात और देश के लिए नुकसानदायक है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि वÂाऩ 2009 के औद्योगिक प्रदूÂाण मापदंड को रद्द किया जाए।